



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी  
धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

दर्जतिथि:-12.08.2024

वाद संख्या:-65 / 2024

1. विशनसिंह पुत्र दजसिंह  
जाति राजपूत निवासी भालीखाल, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर  
.....वादी

बनाम

- गिरधारीसिंह पुत्र किस्तुरसिंह
- संतोष कंवर पत्नी किस्तुरसिंह
- मनोहरसिंह पुत्र किस्तुरसिंह फौत के कायम मुकार  
3/1 शेम्भूसिंह पुत्र मनोहरसिंह  
3/2 प्रवीणसिंह पुत्र मनोहरसिंह नाबालिग की कुदरती वलीमाता प्रतिवादी 3/3  
3/3 जड़ाकंवर पत्नी मनोहरसिंह
- भवसिंह पुत्र खुशालसिंह
- रुगनाथसिंह पुत्र खुशालसिंह  
जातिराजपूत निवासी भालीखाल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।  
.....असलप्रतिवादीगण
- शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा धोरीमन्ना
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना
- उप पंजियक धोरीमन्ना  
.....तकमीलीप्रतिवादीगण

उपस्थितअधिवक्ता  
वादी:-श्रीदेवाराम चौधरी  
प्रतिवादीगण:-एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-25.07.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का



सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना




तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 492/131/2.6304 है0, 493/131/7.0496 है0 वाके ग्राम भालीखाल ,पटवार हल्का उड़ासर, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद विधिवत तामील अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में दिनांक 02.05.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक कोर्ट/भूअ. /2025/1734 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार प्रेषित मौका कुर्रजात रिपोर्ट तथा प्रकरण में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 08.07.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>



  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना

प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 08.07.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
---	---

3. प्रकरण में उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 492/131/2.6304 है0, 493/131/7.0496 है0 वाके ग्राम भालीखाल, पटवार हल्का उड़ासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

**प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:-** प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

**द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का



*(Signature)*  
सहायक कलेक्टर  
SDO धोरीमन्ना

खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

**तृतीय- अपूरणीय क्षति:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि दावा वादी अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 492/131/2.6304 है0, 493/131/7.0496 है0 वाके ग्राम भालीखाल, पटवार हल्का उड़ासर तहसील धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादीगण के हिस्से तालिका में बिन्दु संख्या 1 के अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए प्रार्थीगण का अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	लगा न	किर-म	बरंग
1.	विशनसिंह पुत्र दजसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमना	सम्पूर्ण	493/131	2.42	0.73	बा. सो.	हरा
2.	गिरधारीसिंह पुत्र किस्तुरसिंह जड़ावकंवर पत्नी मनोहरसिंह प्रेमसिंह पुत्र मनोहरसिंह भवसिंह पुत्र खुशालसिंह रूगनाथसिंह पुत्र खुशालसिंह शंभुसिंह पुत्र मनोहरसिंह संतोषकंवर पत्नी किस्तुरसिंह कौम राजपूत सा.देह.खातेदार	1/9 166/4500 167/4500 1/3 1/3 167/4500 1/9	492/131 493/131	2.6304 4.6296	0.79 1.38	बा. सो	केस रिया



सहायक कलेक्टर  
SDO धोरीमन्ना

रहन गिरधारीसिंह व भवसिंह का हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमना		2	7.26	2.17	वा. सो.	
--	--	---	------	------	------------	--

उक्तानुसार वादीगण के हिस्से (उक्त तालिका के बिन्दु संख्या 1) के अनुसार वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Handwritten Signature)*  
सहायक कलेक्टर  
(भागीरथ राम आर एस्) सहायक कलेक्टर  
धोरीमन्ना-बाड़मेर



सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी  
धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-65/2024

दर्जतिथि:-12.08.2024

1. विश्वसिंह पुत्र दजसिंह  
जाति राजपूत निवासी भालीखाल, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर  
.....वादी  
बनाम
1. गिरधारीसिंह पुत्र किस्तुरसिंह  
2. संतोष कंवर पत्नी किस्तुरसिंह  
3. मनोहरसिंह पुत्र किस्तुरसिंह फौत के कायम मुकार  
3/1 शेम्भूसिंह पुत्र मनोहरसिंह  
3/2 प्रवीणसिंह पुत्र मनोहरसिंह नाबालिग की कुदरती वलीमाता प्रतिवादी 3/3  
3/3 जड़ाकंवर पत्नी मनोहरसिंह
4. भवसिंह पुत्र खुशालसिंह
5. रूगनाथसिंह पुत्र खुशालसिंह  
जातिराजपूत निवासी भालीखाल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।  
.....असलप्रतिवादीगण
6. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा धोरीमन्ना
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना
8. उप पंजियक धोरीमन्ना  
.....तकमीलीप्रतिवादीगण

उपस्थितअधिवक्ता  
वादी:-श्रीदेवाराम चौधरी  
प्रतिवादीगण:-एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

---:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम-1955 वाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार  
किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 492/131/2.6304  
है0, 493/131/7.0496 है0 वाके ग्राम भालीखाल, पटवार हल्का



सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना

उडासर तहसील धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाङमेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादीगण के हिस्से तालिका में बिन्दु संख्या 1 के अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए प्रार्थीगण का अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	लगा न	किस्म	बरंग
1.	विशनसिंह पुत्र दजसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमना	सम्पूर्ण	493 / 131	2.42	0.73	बा. सो.	हरा
2.	गिरधारीसिंह पुत्र किस्तुरसिंह जड़ावकंवर पत्नी मनोहरसिंह प्रेमसिंह पुत्र मनोहरसिंह भवसिंह पुत्र खुशालसिंह रुगनाथसिंह पुत्र खुशालसिंह शंभुसिंह पुत्र मनोहरसिंह संतोषकंवर पत्नी किस्तुरसिंह कौम राजपूत सा.देह.खातेदार रहन गिरधारीसिंह व भवसिंह का हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमना	1 / 9 166 / 4500 167 / 4500 1 / 3 1 / 3 167 / 4500 1 / 9	492 / 131 493 / 131	2.6304 4.6296	0.79 1.38	बा. सो.	केस रिया
			2	7.26	2.17	बा. सो.	

उक्तानुसार वादीगण के हिस्से (उक्त तालिका के बिन्दु संख्या 1) के अनुसार वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भागीरथराम) सहायक कलक्टर  
धोरीमन्ना-बाङमेर